

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर
क्रमांक:—नर्सिंग/न.आ/उदयपुर जोन/00476/2024/ दिनांक:—

आदेश

श्रीमती शोभा बालोटिया, नर्सिंग ऑफिसर (परिवीक्षाधीन), महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय, उदयपुर का उनकी स्वयं की प्रार्थना दिनांक 06.02.2021 से 25.02.2021 तक 20 दिवस एवं दिनांक 04.01.2022 से 31.03.2022 तक 87 दिवस कुल 107 दिवस का असाधारण अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F.1(2)FD/Rules/2006-I दिनांक 25.10.2019 के विन्दु संख्या 05 के अनुसरण में 30 दिवस से अधिक अवकाश उपभोग पर कार्मिका के परिवीक्षाकाल में असाधारण अवकाश की सीमा तक अभिवृद्धि की जावेगी।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:—नर्सिंग/न.आ/उदयपुर जोन/00476/2024/102

दिनांक:—30.04.2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय को उनकी आई.डी क्रमांक 24 दिनांक 08.04.2024 के क्रम में।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान को उनकी आईडी दिनांक 14.02.2024. के क्रम में।
- संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) जयपुर, राजस्थान।
- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन—उदयपुर।
- प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, आर एन टी मेडिकल कॉलेज, उदयपुर।
- अधीक्षक, महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय, उदयपुर।
- संबंधित कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- प्रभारी, सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
- आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर